राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 63/21 — दायर दिनांक 2.9.2021

पीठासीन अधिकारी–श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

1. शोभ सिंह पुत्र बालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गुढ़ा राजावता तहसील नावां जिला नागौर

......वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़ जिला अजमेर

.....प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधि0 1955 वास्ते खातेदारी उद्घोषणा एवं धारा 136 रा–भू0रा0अधि0 1956 राजस्व रिकार्ड दुरूस्ती बाबत्।

दिनांक 28.02.2022

निर्णय

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी की स्वामित्व, आधिपत्य एवं संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि वाकै राजस्व ग्राम झाग पटवार हल्का झाग भू–अ0नि0 क्षेत्र कोटड़ी तहसील रूपनगढ़ में स्थित हैं जिसके वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी अनुसार खाता संख्या नया 207 के ख0न0 181 रकबा 8.4945 है0 है जिसमें राजस्व रिकार्ड अनुसार वादी के नाम 2/15 हिस्सा दर्ज है उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी का नाम सोमसिंह पुत्र बालसिंह दर्ज है जिसमें वादी का नाम सहवन से लिपिकिय त्रुटिवश सोमसिंह का इन्द्राज हो गया है जबकि वादी का सही एवं वास्तविक नाम शोभसिंह पुत्र बालसिंह है तथा उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का सहवन से लिपिकीय त्रुटि से गलत नाम सोमसिंह के स्थान पर वादी का सही एवं वास्तविक नाम शोभसिंह का इन्द्राज करवा कर शोभसिंह पुत्र बालसिंह का इन्द्राज दुरूस्ती करवाना चाहते है। जिसको दुरूस्त करवा कर घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करवा कर वादी का सही नाम सोमसिंह के स्थान पर शोभसिंह का इन्द्राज दुरूस्ती करवा कर इन्द्राज करवाना चाहते है। वादी के आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, बैंक खाता की पासबुक, पेंशनर वार्षिक सत्यापन स्लिप में वादी का नाम शोभसिंह दर्ज है। वादी के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम सहवन से लिपिकीय त्रुटिवश सोमसिंह अंकित होने से वादी के नाम में भिन्नता के कारण एक ही व्यक्ति के भिन्न, अलग–अलग नाम शोभसिंह व सोमसिंह हो गये है। सोमसिंह पुत्र बालसिंह व शोभसिंह पुत्र बालसिंह नाम का एक ही व्यक्ति ग्राम गुढ़ा में हैं जिसकी पुष्टि सरपंच ग्राम पंचायत खारड़िया प0स0 नावां जिला नागौर के द्वारा की गयी है। कृषि भूमि में सोमसिह गलत नाम अंकित हो जाने से किसान कार्ड बनवाने, कृषि भूमि के विकास, सुधार, मुआवजा प्राप्त करने में काफी परेशानियों का सामना करना [illegible]। वादग्रस्त कृषि आराजी में अपने हिस्से पर किसान केडिट कार्ड बनवाने [illegible] लेकर बैंक गये तो बैंक के अधिकारियों ने वादी की जमीन की जमाबन्दी व वादी के पहचान [illegible] दस्तावेजों को देखकर वादी को

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.06.07 15:37:09 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

कहा कि उक्त कृषि भूमि में तुम्हारा नाम सोमसिंह है तथा तुम्हारे पहचान दस्तावेज आधार कार्ड आदि में नाम शोभसिंह है। इस कारण बैंक लोन देने में असक्षम है। इस कारण वाद पत्र इन्द्राज दुरूस्ती करवाने हेतु न्यायालय में पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जरिये सम्मन की गयी। प्रतिवादी का सम्मन तामिलशुदा प्राप्त। प्रतिवादी (तहसीलदार रूपनगढ़) की ओर से प्रकरण में जवाब पेश किया गया। प्रस्तुत जवाब अनुसार ग्राम झाग की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार संवत 2072–75 जमाबन्दी 2075 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 207 में ख0न0 181 रकबा 8.4945 है0 भूमि सोम सिंह पुत्र बाल सिंह जाति राजपूत हि0 2/15 सा0 गुढ़ा खातेदार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादी का वाद स्वीकार कर वादी का नाम सोम सिंह पुत्र बाल सिंह के स्थान पर शोभ सिंह पुत्र बाल सिंह दर्ज किया जाता है तो प्रकरण में किसी का राजहित प्रभावित नहीं होता है। वकील वादी की ओर से वादी साक्ष्य हेतु शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 पेश किया गया जिस पर वादी के बयान लिये गये। वकील वादी की बहस सुनी गयी।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ग्राम पंचायत खारडिया तहसील नावां जिला नागौर का प्रमाण पत्र के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः ग्राम झाग के ख0न0 181 रकबा 8.4945 है0 भूमि में वादी के दर्ज नाम सोम सिंह पुत्र बाल सिंह के स्थान पर शोभ सिंह पुत्र बाल सिंह दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया व शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़, अजमेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.06.07 15:37:09 IST
Reason: SelfAttested